

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

16/03/22

पञ्जाबी भाषा में है। पेरियार  
 मूनिचार्क रक्षितदार, पञ्जाब के  
 द्वारा राजीनामा पर दिदी उफार  
 की कोई जायति नहीं उफर की  
 है। खटपति स्वयं दलाल बिने।  
 प्राथमिक-पत्र व राजीनामा के दंडेप  
 में रक्षित इत उफार है, प्राथमिक  
 के द्वारा मौजा कुडी के खलनामा  
 356/77 रकबा 30 बीला 02 गिजा कृषि  
 में से केचान - कनी दरमजान विजामी के 2  
 के मीरो रेरी व सुगनकेवर द्वारा 2.0  
 बीला सड़क पर 160 फीट लम्बाई पर  
 केचान की गई थी, लेकिन विजामी के  
 2 के द्वारा केचान की गई कृषि के  
 रक-नं. 526/77 व 527/77 रकबा 1.0  
 बीला व 1.0 बीला रेकॉर्ड में तरमीम  
 सड़क पर 120 फीट की कर दी गई,  
 उक्त तरमीम आपसी राजीनामा के 180  
 फीट विधायक सड़क पर दोनों के 80 फीट  
 करार मीरो रेरी व 80 फीट सुगनकेवर  
 के नाम करने का निवेदन किया जाता है।

*(Handwritten signature)*  
 (म. ब. ब. य. य. य.)



(ने. के. के.)  
 सहायक कलक्टर  
 (350) बालोकरा

राज

~~ऐसी स्थिति में ग्रामीण के अधिकार  
 को स्वीकार करने में किसी प्रकार  
 का कोई आपत्ति उत्पन्न नहीं होगी,  
 ग्रामीण के अधिकार तथा को  
 अधिकार एवं आपत्ति राशीनामा के  
 मुख्याधिकारी को सूची के क्रम क्र. 5  
 526/77 रकबा 1.00 बीघा, क्र. 527/77  
 रकबा 1.00 बीघा जूम की लम्बाई इस  
 में त्रुटि को निरस्त करने  
 सिरे से सड़क पर दोनों खसरो के  
 समान 80 फीट बराबर भीरो देनी व  
 80 फीट सुगम केंचर के नाम पुकड़ी  
 करने हेतु तहसीलदार बलामण्डल के  
 आदेशित किया जा रहा है।  
 निर्णय खुले न्यायालय में लुनापा  
 गया।~~

~~प्रभावती फौजल शुभाल हेतु नम्र  
 के कम है।~~



(नेम सिके)  
 सहायक कमिश्नर  
 (BDO) बालोटा